

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

—:आदेशः—

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य में लागू लॉकडाउन के चलते समस्त प्रकार के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय वर्तमान समय में बन्द हैं। विद्यालयों में आवागमन, नियमित कक्षा शिक्षण, परीक्षा एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त कार्य स्थगित हैं। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं जारी निर्देशों की पालना में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को आगामी उच्च कक्षा में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग के सम्भाग, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं संस्था प्रधानों के लिए प्रबोधन एवं क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. लॉकडाउन के चलते शासन द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार किसी भी संस्था में परीक्षा, मूल्यांकन एवं परख इत्यादि किसी भी प्रकार की गतिविधियों का आयोजन नहीं होगा। इस क्रमोन्नति के लिए निर्धारित प्रक्रिया में एकबारी शिथिलन (One Time Relaxation) सिर्फ शैक्षिक सत्र 2019–2020 हेतु मान्य रहेगा।
2. कक्षा 1 से कक्षा 8 तक समस्त कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपनी कक्षा में क्रमोन्नत माना जावेगा तथा वे आगामी उच्च कक्षा के लिए प्रवेश हेतु योग्य होंगे।
3. कक्षा 8 एवं कक्षा 5 के लिए जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं अन्य शेष कक्षाओं के लिए जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के लिए पृथक से प्ररूप जारी किये जा रहे हैं।
4. क्रमोन्नति एवं आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश की कार्यवाही सम्बन्धित पोर्टल्स पर सम्पन्न की जा सकती है।
5. सभी कक्षाओं के लिए अँनलाइन कन्टेन्ट तैयार किये जा रहे हैं। अतः ई-लर्निंग की प्रक्रिया उच्च कक्षा में क्रमोन्नति के अनुरूप जारी रहेगी। विद्यार्थी घर बैठे अध्ययन जारी रखेंगे, अस्तु समस्त शिक्षा अधिकारी, शैक्षिक प्रशासक, संस्था प्रधान एवं शिक्षक उक्तानुसार नियमित प्रबोधन करेंगे।

संलग्न: क्रमोन्नति प्रमाण पत्र कक्षा 8 (प्ररूप अ), कक्षा 5 (प्ररूप ब), शेष कक्षा (प्ररूप स)

६१
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 10.4.2020

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/क.वि./2019–20

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर
8. सचिव, मदरसा बोर्ड, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल, जयपुर।
10. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर।
11. सम्भालीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त।
12. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त।
13. प्रधानाचार्य, डाइट समस्त।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), मा.शि./प्रा.शि. समस्त।
15. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
16. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।

६२
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र

सत्र: 2019–20

स्कॉलर रजिस्टर सं:

क्रमोन्नति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि
(छात्र/छात्रा का नाम) पुत्र/पुत्री(माता का नाम),
.....,(पिता का नाम), कक्षा 8, जन्म तिथि:.....
,विद्यालय का नाम.....को आगामी कक्षा-9 के लिए
क्रमोन्नत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र कक्षा: 8 की योग्यता/पूर्णता एवं आगामी कक्षा में प्रवेश के
लिए वैध होगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर, संस्था प्रधान
मय मोहर

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन

प्रमाण पत्र

सत्र: 2019–20

स्कॉलर रजिस्टर सं:

क्रमोन्नति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि
(छात्र/छात्रा का नाम) पुत्र/पुत्री(माता का नाम), .
.....(पिता का नाम), कक्षा 5, जन्म तिथि:.....
विद्यालय का नाम.....को आगामी कक्षा-6 के लिए
क्रमोन्नत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र कक्षा: 5 की योग्यता/पूर्णता एवं आगामी कक्षा में प्रवेश के
लिए वैध होगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर, संस्था प्रधान
मय मोहर

क्रमोन्नति प्रमाण पत्र

कक्षा:.....

स्कॉलर रजिस्टर सं:

सत्र: 2019—20

यह प्रमाणित किया जाता है कि
(छात्र/छात्रा का नाम) पुत्र/पुत्री(माता का नाम), .
.....(पिता का नाम), कक्षा....., जन्म तिथि:.....
विद्यालय का नाम.....को आगामी कक्षा—..... के लिए
क्रमोन्नत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र कक्षा: की योग्यता/पूर्णता एवं आगामी कक्षा में प्रवेश
के लिए वैध होगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर, संस्था प्रधान
मय मोहर